

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/739

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी.....धीरा..... व भू.अ.नि.रमणीया
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/समदडी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा अधारकार्ड
मतदाता पहचान पत्र, परिवार रेशन कार्ड, पशासक मोगी का पत्राण पत्र।
पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/समदडी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार
सिवाना/समदडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	महादेवनगर	114, 159, 160.	अर्जुनपुत्र ज्वारा	अर्जुनसिंह पुत्र जवाहर सिंह
02	विश्वपुरा	294, 305		
03	धीरा	132		
04	मांगी	334, 335, 337		

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

कमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/ 102

दिनांक:- 08-11-2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना/समदडी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण अर्जुनसिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति पुरोहित निवासी धीरा
तहसील सिवाना/समदडी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)